



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1948 (श०)

(सं० पटना 1091) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2026

सं० 7 / स्था०-05-12 / 2026-16475 / सा०प्र०—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-81339 दिनांक 03.09.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०-1698 / 2020 में दायर रिभ्यू पिटीशन (सिविल) सं०-621 / 2021 में दायर Miscellaneous Application सं०-1249 / 2026 में दिनांक 22.05.2026 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सिविल अपील सं०-3947 / 2020 रजानिश के०वी० बनाम के० दीपा एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में दिनांक 11.03.2026 को पारित आदेश के आलोक में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के निम्नांकित अभ्यर्थी को जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) बार से सीधी भर्ती परीक्षा, 2021 के तहत दिनांक 10.10.2025 के प्रभाव से जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के पद पर वेतनमान ₹ 144840-194660 में, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	वर्तमान/स्थायी पता पता	जन्मतिथि
1	2	3	4	5
1.	सालेहा सबीहा	11920	c/o गुफ़रान अहमद आर०के० नगर, एफ०सी०आई० रोड, पी०ओ०-फूलवारी शरीफ, पटना, पिन-801505	03.02.1980

2. उक्त पद पर अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति दिनांक 10.10.2025 के प्रभाव से निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी:-

- (i) यदि इनके पूर्ववत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है अथवा प्रमाण पत्र/अभिलेखों के जाँच के क्रम में सूचना गलत पायी जायेगी, तो इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- (ii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।
- (iii) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, उम्र, अनुभव, आवासीय एवं स्वच्छ चरित्र संबंधी सभी तरह के मूल प्रमाण पत्रों की विधिवत रूप से जाँच एवं सत्यापन का कार्य संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर पर किये जायेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (iv) योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता या सुविधा देय नहीं होगी।
- (v) संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थियों के सिविल सर्जन के स्तर पर गठित चिकित्सक पर्षद से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शादी/विवाह में तिलक/दहेज आदि नहीं लेने/देने की घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त प्रासंगिक वादों में पारित आदेश के तहत इन्हें वैचारिक वेतन निर्धारण/वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1091-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>